राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–34/2025

शारदा देवी बनाम् गुड़िया कुमारी।

1 यह वाद श्रीमती शारदा देवी, पति–श्री शक्ति शरण प्रसाद, पता–वार्ड संख्या–04, महाराजगंज, पोस्ट+थाना–महाराजगंज, जिला–सिवान(बिहार) द्वारा श्रीमती गुड़िया कुमारी, उप मुख्य पार्षद, (तत्कालीन) नगर पंचायत महाराजगंज, पति--श्री पवन कुमार, वार्ड संख्या–03, पुरानी बाजार, महाराजगंज, जिला–सिवान(बिहार) के विरुद्ध नगरपालिका की लगातार तीन बैठकों में बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहने के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 (1) (ढ़)–सह–पठित धारा–18 (2) के तहत उप मुख्य पार्षद के पद से हटाने हेतु लाया गया है।

2 वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार द्वारा वादी का पक्ष रखा गया तथा प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दिवाकर प्रसाद सिंह द्वारा पक्ष रखा गया, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से अमर ज्योति, वरीय उप समाहर्त्ता, सिवान को प्राधिकृत किया गया।

3 वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी उप मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, महाराजगंज है। प्रतिवादी नगरपालिका की सशक्त स्थायी समिति की तीन बैठकों क्रमशः दिनांक–06.06.2025, दिनांक–16.06.2025 एवं दिनांक–09.07.2025 को बिना किसी पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहीं। अतः उनके द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(n) के तहत अयोग्यता अर्जित कर ली गई है।

अपने दावें समर्थन में उनके द्वारा आयोग को उक्त सभी तिथियों से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन कराया गया तथा उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उक्त तीनों लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने हेतु इनके द्वारा मुख्य पार्षद/नगरपालिका से किसी प्रकार की कोई अनुमति प्राप्त नहीं की थी और न ही उनके द्वारा इस संबंध में कोई सूचना दी गई थी। इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(n) के तहत उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए, पद से हटाया जाना चाहिए।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी सशक्त स्थायी समिति की उक्त तीन बैठकों में अनुपस्थित थी, परन्तु उन्हें नियमानुसार नोटिस का तामिला नहीं कराया गया।

आगे उनके द्वारा यह दावा किया गया कि दिनांक–27.06.2025 को आहूत सामान्य बोर्ड की बैठक में उनकी मुवक्किल उपस्थित रहीं। अतः वादी का यह दावा सत्य नहीं है कि नगरपालिका के लगातार तीन बैठकों में उनकी मुवक्किल अनुपस्थित रहीं।

वादी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि प्रतिवादी दिनांक–27.06.2025 की सामान्य बोर्ड की बैठक में उपस्थित रहीं, परन्तु बैठकों की गणना समानान्तर रूप से अलग–अलग होनी चाहिए, अर्थात् क्रम की गणना सामान्य बोर्ड की बैठक के लिए अलग तथा सशक्त स्थायी समिति

बैठक के लिए अलग की जानी चाहिए। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा C.W.J.C. No. 17721/2015 एवं इससे उद्भूत L.P.A. No. 2294/2015 में पारित न्याय–निर्णय की प्रति आयोग को समर्पित की गयी।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त तर्क का जोरदार खण्डन किया गया तथा तर्क दिया गया कि सशक्त स्थायी समिति नगरपालिका का ही अंग है। अतः इसकी बैठकों को अलग–अलग गिनना उचित नहीं है। अतः वादी का दावा बिल्कुल निराधार एवं खारिज किये जाने योग्य है।

5. जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका), सिवान द्वारा पत्रांक–3244, दिनांक–26.11.2025 के माध्यम से सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसका प्रभावकारी अंश निम्नवत् है:–

क्र0	नगर पं0, महाराजगंज के पत्रांक / दिनांक	बैठक की तिथि / समय	संबंधित बैठक	निर्गत पत्र प्राप्ति की तिथि	बैठक में उपस्थित / अनुपस्थित
1	2	3	4	5	6
01.	767 / 02.06.2025	06.06.2025 12:30 बजे	सशक्त स्थायी समिति की बैठक	E-Mail से गुड़िया देवी को दिनांक–06.06.2025 अपराह्न 01: 33 बजे	अनुपस्थित।
02.	870 / 12.06.2025	16.06.2025 11:30 बजे	सशक्त स्थायी समिति की बैठक	E-Mail से गुड़िया देवी को दिनांक–12.06.2025 अपराह्न 02: 00 बजे	अनुपस्थित।
03.	–	27.06.2025 12:30 बजे	सामान्य बोर्ड की बैठक	–	उपस्थित।
04.	1003 / 05.07.2025	09.07.2026 11:30 बजे	सशक्त स्थायी समिति की बैठक	E-Mail से गुड़िया देवी को दिनांक–05.07.2025 अपराह्न 04: 50 बजे	अनुपस्थित।

वादी एवं प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों, अधिवक्ता द्वय के तर्कों तथा जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), सिवान द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच / सत्यापन प्रतिवेदनों का परीक्षण किया गया । आयोग का इनके संबंध में मत / निर्णय निम्नवत है:–

आयोग द्वारा सर्वप्रथम इस तथ्य का परीक्षण किया गया कि क्या प्रतिवादी के दावें के आधार पर सशक्त स्थायी समिति की बैठकों को नगरपालिका की बैठक मानी जाए अथवा नहीं ?

उक्त प्रश्न का उत्तर माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 17721/2015 (रूप नारायण बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य) तथा L.P.A. No. 2294/2015 (अमरावती देवी बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य) मामले में पारित न्याय–निर्णयों में प्राप्त होता है। माननीय न्यायालय द्वारा सशक्त स्थायी समिति के बैठकों को भी नगरपालिका की बैठक माना गया है। इस प्रकार उक्त न्याय–निर्णयों से यह मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद तथा सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के लिए क्रमागत बैठक की गणना में सामान्य बोर्ड की बैठक एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठकों के क्रम को संज्ञान में लिया जायेगा, क्योंकि उक्त सभी सामान्य बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति दोनों के सदस्य होते है। ऐसे सदस्य जो सशक्त स्थायी समिति के सदस्य न हो, उनके लिए क्रम की गणना में केवल सामान्य बोर्ड की बैठकों के क्रम का संज्ञान लिया जायेगा।

आयोग द्वारा यह पाया गया कि वादी के दावें के विपरीत प्रतिवादी दो सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक–06.06.2025 एवं दिनांक–16.06.2025 के ठीक बाद आहूत सामान्य बोर्ड की बैठक दिनांक–27.06.2025 को उपस्थित रहीं। अतः वादी का दावा तथ्यतः गलत पाया गया।

अतएव बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(n) के तहत प्रतिवादी को अयोग्य/निरर्हित घोषित करने के अनुरोध को अस्वीकृत किया जाता है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
28.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
28.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–34/2025 1701 पटना, दिनांक–28/4/2026

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सिवान/जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी–सह–प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, जिला–सिवान को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी–सह–प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, जिला–सिवान को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

28/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–34/2025 1701 पटना, दिनांक–28/4/2026

श्रीमती शारदा देवी, पति–श्री शक्ति शरण प्रसाद, पता–वार्ड संख्या–04, महाराजगंज, पोस्ट+थाना–महाराजगंज, जिला–सिवान(बिहार) द्वारा श्रीमती गुड़िया कुमारी, उप मुख्य पार्षद, (तत्कालीन) नगर पंचायत महाराजगंज, पति–श्री पवन कुमार, वार्ड संख्या–03, पुरानी बाजार, महाराजगंज, जिला–सिवान(बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

28/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–34/2025 1701 पटना, दिनांक–28/4/2026

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी